डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिकों/कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निर्धारण

435. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमान डी. आर डी. ओ. और रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण, डी. आर. डी ओ. के वैज्ञानिक और कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनर्निर्धारण नहीं किया जा सका था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है, ताकि वैज्ञानिकों को उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप वेतनमान मिल सकें ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. राजा रमन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

436. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है, जिनका पेक्सेम–I और पेक्सेम-II योजनाओं के तहत भारतीय और योजनाओं के तहत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई सहायता से मध्य प्रदेश में अब तक पुनर्वास किया गया है, ;

(ख) इस समय राज्य में ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जिनका अब तक पुनर्वास नहीं किया गया है ; और

(ग) शेष भूतपूर्व सैनिकों का कब तक पुनर्वास कर दिए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. राजा रमन्ना) : (क) और (ख) "पेक्सेम" योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोज़गार प्राप्त करने में और उन्हें अपना काम धंधा शुरु करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का इस योजना से संबंध नहीं है । "पेक्सेम–I" और "पेक्सेम–II" के नाम से अलग-अलग कोई योजना नहीं है ।

सेमफेक्स–I और सेमफेक्स–II नामक योजनाएं हैं जो क्रमशः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से चलाई गई हैं । ये योजनाएं भूतपूर्व सैनिकों को अपने निजी काम धंधे खोलने के लिए प्रोत्साहित करती है । सेमफेक्स–I योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए आवेदन संबंधित राज्य वित्तीय निगम को पेश करने होते हैं । 31 दिसम्बर, 1989 तक, मध्य प्रदेश के 230 भूतपूर्व सैनिकों ने सेमफेक्स–I योजना के अन्तर्गत, अपने निजी उद्योग-धंधों के लिए मध्य प्रदेश राज्य वित्तीय निगम से सहायता मांगी थी । इनमें से अब तक 91 भूतपूर्व सैनिकों को सहायता की जा चुकी है और 124 भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन नामंजूर कर दिए हैं । शेष 15 आवेदनों की मध्य प्रदेश राज्य वित्तीय निगम द्वारा जांच की जा रही है ।

31 दिसम्बर, 1989 तक मध्य प्रदेश में सेमफेक्स–II के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य वित्तीय निगम द्वारा, पात्रता के मानदण्डों के अनुसार आवेदनों की जांच करने और परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता का पता लगाने के पश्चात् सेमफेक्स–II योजना के अन्तर्गत ऋण मंजूर किए जाते हैं । सामान्यतः आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए लगभग 3 से 6 महीने लगते हैं ।

Pollution control tests in Delhi

437. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state: